

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी-15/2017 दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (जितेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7404/2020 रूखमणी मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7404/2020 रूखमणी मीणा व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2020 में याचिका को एस.बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी रूखमणी मीणा व अन्य में निम्नांकित अभ्यर्थी जितेन्द्र कुमार शर्मा प्राध्यापक (वाणिज्य) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	JEETENDRA KUMAR SHARMA	COMMERCE	28/02/1990	05	22/02/2018	24/02/2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक वाणिज्य विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक रजनी कुमारी मेरिट क्रमांक 187 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी रजनी कुमारी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 15:28:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4115733



उपर्युक्त अभ्यर्थी जितेन्द्र कुमार शर्मा के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 7404/2020 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 24.08.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी रजनी कुमारी (मेरिट क्रमांक 197) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में रजनी कुमारी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

रजनी कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक रजनी कुमारी के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी जितेन्द्र कुमार शर्मा भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य/नोशनल/जितेन्द्र कुमार शर्मा/या.सं.-7404/2020 दिनांक- 21/8/2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 17:28:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4115733



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/ संस्था/सी-2/नियुक्ति- इतिहास/ पीएससी-15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी रीता रेनीवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11963/2022 रीता रेनीवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11963/2022 रीता रेनीवाल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2022 में याचिका को एस.बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थी रीता रेनीवाल प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	RITA RENIHAL	HISTORY	14/12/1979	1347	20/07/2018	27/07/2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक इतिहास विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक अशोक कुमार मेरिट क्रमांक 1775 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी अशोक कुमार द्वारा दिनांक 24.06.2017 कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी रीता रेनीवाल के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11963/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 14.09.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी अशोक कुमार (मेरिट क्रमांक 1775) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में अशोक कुमार द्वारा दिनांक 24.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 15:17:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4391267



अशोक कुमार द्वारा परीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकाधियों के द्वारा परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक अशोक कुमार के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकाधियों रीता रेनीवाल भी वरीयता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/नोशनल/रीता रेनीवाल/या.स.-11963/2022

दिनांक-

21/8/2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

Rajasthan Education Department



Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.08.20 17:17:28 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4391267



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी-15/2017 दिनांक 24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 24.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी राकेश चौधरी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11159/2022 राकेश चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11159/2022 राकेश चौधरी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 में याचिका को एस.बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस. बी.सी. या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी राकेश चौधरी प्राध्यापक (वाणिज्य) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा अक्टूबर 2016 में नियुक्ति प्रदत्त विषयों के अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता वर्ष 2016-17 की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	RAKESH CHOUDHARY	COMMERCE	01/10/1993	19	24/06/2017	28/06/2017

उपर्युक्त अभ्यर्थी राकेश चौधरी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11159/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार याचिकाधियों के अभ्यावेदन पर प्रभावी नियमों के विद्यमान प्रावधानों के प्रकाश में अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य व अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में वरिष्ठता अवधारण संबंधी नियम 36 (सहपठित परन्तुक 1 एवं नियम 28) में निर्देशित वरिष्ठता अवधारण संबंधी प्रावधानों से सुस्पष्ट है कि एक ही भर्ती/चयन (हस्तगत प्रकरणों में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 के तहत किसी विषय विशेष में चयनित समस्त अभ्यर्थी एक ही चयन के अन्तर्गत माने जायेंगे) से नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण भर्ती एजेंसी आरपीएससी द्वारा प्रदत्त वरिष्ठता (मेरिट) के अनुक्रम में होता है तथा वरिष्ठता निर्धारण हेतु संबंधित चयन अथवा भर्ती के संबंध में जारी नियुक्ति के अनुसार वरिष्ठता वर्ष का निर्धारण (संबंधित विषय में जारी प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 15:48:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4491696



नियुक्ति आदेश की तिथि के अनुरूप) किया जाकर तत्संबंधी विषय में कार्यग्रहण करने वाले समस्त कार्मिकों का भर्ती एजेंसी द्वारा प्रदत्त मेरिट (वरियता) के अनुक्रम (संबंधित कार्मिक द्वारा संतोषप्रद परीक्षाकाल समापन उपरान्त स्थाईकरण आदेश जारी होने के पश्चात) में वरिष्ठता निर्धारित की जाती है।

विचाराधीन अभ्यर्थीगण वाणिज्य विषय में नियुक्ति प्राप्त प्राध्यापक है। संदर्भित प्राध्यापक भर्ती 2015 में पूर्व लिखितानुसार वाणिज्य विषय में पृथक नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.2017 (अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) को जारी किया गया। इससे पूर्व वाणिज्य विषय में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई थी। तदनुसार नियमों के विद्यमान प्रावधानानुसार वाणिज्य विषय में नियुक्त प्राध्यापकों को परीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त स्थाईकरण पश्चात उनकी नियुक्ति तिथि 24.06.2017 (अवधि: 01.04.2017 से 31.03.2018 के मध्य होने के कारण वरिष्ठता वर्ष 2017-18) के आधार पर वरिष्ठता वर्ष 2017-18 भर्ती एजेंसी आरपीएससी द्वारा प्रदत्त मेरिट (वरियता) के अनुक्रम में निर्धारित की गई।

अतः उपर्युक्त याचिकार्थी की नियुक्ति आदेश क्रमशः दिनांक 24.06.2017 (अवधि: 01.04.2017 से 31.03.2018 के मध्य होने के कारण वरिष्ठता वर्ष 2017-18) होने के कारण विद्यमान विभागीय नियमानुसार याचिकार्थीयों द्वारा वरिष्ठता वर्ष 2016-17 की मांग नियम संगत नहीं होने के कारण एतद् द्वारा इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई ए एस

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य/मोशनल/राकेश चौधरी/या.सं.-11159/2022

दिनांक- 21/8/2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 18:48:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4491696

